उत्तराखण्ड विधान सभा

# उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

## शुक्रवार, 27 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1944

( दिनांक : 17 जून, 2022 )

**समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न**

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "**क**")

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "**ख**")

3. निधन के निदेश।

4. मुख्यमंत्री, आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड, वर्ष 2021-22 खण्ड-1 को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-1 वर्ष 2022 को सदन के पटल पर रखेंगे।

6. मुख्यमंत्री "भारत का संविधान के अनुच्देछ 323(2) के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवदेन" (अवधि 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 16 (2) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।

8. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

9. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा "जनपद टिहरी गढ्वाल के विधानसभा क्षेत्र धनसाली के अन्तर्गत हिन्दाव पट्टी के प्रसिद्ध धाम विश्वनाथ को रोप-वे से जोड़ने के सम्बन्ध में" श्री दरम्यान सिंह रावत, पूर्व प्रधान चांजी मल्ली, टिहरी गढ्वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री सुमित हृदयेश, सदस्य, विधान सभा "जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी शहर में 05 वर्ष पूर्व की गयी रिंग रोड़ निर्माण की घोषणा के पश्चात भी अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में" श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, पुत्र स्व0 हर्षा सिंह, ग्राम व पोस्ट शिवपुरी दमुवाढूंगा, हल्द्वानी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

12. नियम 315 के खण्ड (13) व(14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

13. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

15. वित्तीय वर्ष, 2022-2023 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 21108553 हजार (रूपये दो हजार एक सौ दस करोड़ पचासी लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(2) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 12061993 हजार (रूपये एक हजार दो सौ छः करोड़ उन्नीस लाख तिरानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(3) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 3370495 हजार (रूपये तीन सौ सैंतीस करोड़ चार लाख पंचानबे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(4) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 20226578 हजार (रूपये दो हजार बाईस करोड़ पैंसठ लाख अठहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(5) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 5768362 हजार (रूपये पांच सौ छिहत्तर करोड़ तिरासी लाख बासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(6) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 5316661 हजार (रूपये पांच सौ इकतीस करोड़ छियासठ लाख इकसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(7) श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 6053188 हजार (रूपये छः सौ पांच करोड़ इकतीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(8) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 5343254 हजार (रूपये पांच सौ चौंतीस करोड़ बत्तीस लाख चौवन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(9) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 28041976 हजार (रूपये दो हजार आठ सौ चार करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(10) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 942863 हजार (रूपये चौरानवे करोड़ अठ्ठाईस लाख तिरसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(11) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 989970 हजार (रूपये अठ्ठानवे करोड़ निन्यानबे लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(12) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 3707333 हजार (रूपये तीन सौ सत्तर करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(13) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 23398214 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ उनतालीस करोड़ बयासी लाख चौदह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(14) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 274950 हजार (रूपये सत्ताईस करोड़ उनचास लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(15) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 24235504 हजार (रूपये दो हजार चार सौ तेईस करोड़ पचपन लाख चार हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(16) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 39941638 हजार (रूपये तीन हजार नौ सौ चौरानवे करोड़ सोलह लाख अड़तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(17) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 1280888 हजार (रूपये एक सौ अठ्ठाईस करोड़ आठ लाख अठ्ठासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(18) ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 36991337 हजार (रूपये तीन हजार छः सौ निन्यानबे करोड़ तेरह लाख सैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 4827453 हजार (रूपये चार सौ बयासी करोड़ चौहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(20) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 23388650 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ छियासी लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(21) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 4480760 हजार (रूपये चार सौ अड़तालीस करोड़ सात लाख साठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

16. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

17. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे।

18. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

19. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

20. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

21. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

22. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

23. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

24. लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

25. लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

26. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधान सभा, असरकारी विधेयक, "उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2022" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगी।

27. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधान सभा, असरकारी विधेयक, "उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगी।

28. <u>असरकारी संकल्पों के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-</u>

1. श्री महेश जीना, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/ तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।" **(15 मिनट)**

2. श्री आदेश सिंह चौहान, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जसपुर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवरखेड़ा को उच्चीकृत किया जाय।"**(15 मिनट)**

3. श्री सुमित हृदयेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नगर निगमों के पार्षदों एवं सभासदों को मानदेय दिया जाय।"**(15मिनट)**

4. श्री प्रीतम सिंह पंवार, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डो को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।" **(15 मिनट)**

5. श्री उमेश कुमार, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"**(15 मिनट)**

29. <u>नियम– 105 के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–</u>

1. श्री आदेश सिंह चौहान, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जसपुर, जगतपुर पट्टी में महिला डिग्री कॉलेज में सह-शिक्षा (Co Education) कराया जाय।" **(15 मिनट)**

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थतयूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।"**(15 मिनट)**

3. श्री सुमित हृदयेश "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी नगर निगम में मलिन बस्ती एक्ट, 2016 के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में निवास कर रहे नागरिकों को विस्थापित/नियमितीकरण किया जाय।"**(15 मिनट)**

4. श्री उमेश कुमार — "यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।"(15 मिनट)

30. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

31. आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की वर्ष 2013 से 2017 तक की करायी गई ऑडिट जॉच के अनुसार राजकोष में हुए नुकसान के सम्बन्ध में श्री भुवन चंद्र कापड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जून, 2022 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

32. नई टिहरी स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूमि व भवन न होने के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जून, 2022 को दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 16 जून, 2022

(मुकेश सिंघल)
सचिव।

द्वितीय सत्र, 2022
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

# उत्तराखण्ड विधान सभा
# की कार्यसूची

**शुक्रवार,**

**27 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1944**

(दिनांक : 17 जून, 2022)

**नत्थी 'क'**

## अल्पसूचित प्रश्न

| | | |
|---|---|---|
| श्री आदेश सिंह चौहान<br>07.06.2022 | ** क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश में आंगनबाड़ी योजना का संचालन सुचारु रुप से किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के अन्तर्गत 02 माह से टेक होम राशन की आपूर्ति नहीं हुई है एवं 17 माह से भवन किराया एवं 04 माह से योजना में कार्यरत कार्यकत्रियों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण उक्त योजना सुचारु रुप से संचालित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त योजना का संचालन सुचारू रूप से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास |
| श्री विरेन्द्र कुमार<br>10.06.2022<br>श्री गोपाल सिंह राणा<br>15.06.2022 | ** क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि राज्य में फसल बुवाई के समय डी.ए.पी. व यूरिया उर्वरक की भारी कमी हो रही है ? यदि हां, तो सरकार किसान की आवश्यकता के अनुसार समय रहते यूरिया व डी.ए.पी. उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? | सहकारिता |

# नत्थी 'ख'

## तारांकित प्रश्न

| | | |
|---|---|---|
| श्री त्रिलोक सिह चीमा<br>05.05.2022 | *01. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर शुगर मिल के पेराई सत्र 2007–08 के प्रति रू0 117.94 लाख एवं पेराई सत्र 2011–12 के प्रति रू0 2374.36 लाख कुल रूपये 2492.30 लाख का भुगतान क्षेत्र के किसानों को किया जाना अवशेष है तथा वर्ष 2011–12 में मिल बन्द होने से बेरोजगार हो चुके मिल कर्मचारियों के वेतन के प्रति रू0 65.08 लाख देय है ? यदि हां, तो क्या गन्ना किसानों एवं मिल के बेरोजगार कर्मचारियों को उनकी देय राशि का भुगतान किया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? | गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग |
| श्री प्रीतम सिंह<br>05.05.2022<br>श्री प्रीतम सिंह पंवार<br>13.05.2022 | *02. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में कुल कितने बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अब तक कितने बेरोजगार युवाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की गयी है ? क्या प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |
| श्री फुरकान अहमद<br>06.05.2022 | *03. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत गन्ना किसानों का वर्ष 2017 से अब तक गन्ना मिल मालिकों पर गन्ना किसानों का कितना भुगतान बकाया है ? क्या सरकार मिल मालिकों पर किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान करने हेतु कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग |
| डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट<br>06.05.2022 | **द्वितीय शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या–04 में स्थानान्तरित।**<br>*04. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि पेपर मिलों एवं गत्ता फैक्ट्रियों द्वारा भूसा खरीदने से पालतू पशुओं के इस महत्वपूर्ण आहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अवगत करायेंगे कि पेपर मिलों एवं गत्ता फैक्ट्रियों को भूसा खरीदने से रोकने के लिए कोई प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई प्राविधान बनायेगी ? क्या सरकार द्वारा पशुपालकों हेतु सस्ती दरों पर भूसा उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना अमल में लाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ? | कृषि |

| | | |
|---|---|---|
| श्रीमती ममता राकेश<br>09.05.2022<br>श्री महेश जीना<br>13.05.2022<br>श्री संजय डोभाल<br>30.05.2022 | *05. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं ? यदि हां, तो इस समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |
| श्री खजान दास<br>09.05.2022 | **चतुर्थ सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–09 में स्थानान्तरित।**<br>*06 क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड प्रदेश का अधिकतर भू–भाग पहाड़ी एवं ढ़ालदार है जिसमें निवासरत् किसान छोटे–छोटे सीढ़ीनुमा दूर–दूर बिखरे पड़े खेतों में कृषि कार्य करके अपनी आजीविका चलाते है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि प्रदेश के किसान लम्बे समय से प्रदेश में चकबन्दी लागू किये जाने की मांग करते चले आ रहे है ? क्या सरकार प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में किसानों के दूर–दूर बिखरे पड़े खेतों का एकीकरण किये जाने हेतु कृषकों के हित में चकबन्दी लागू किये जाने के लिये कोई ठोस नीति बना रही है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ? | कृषि |
| श्री खजान दास<br>10.05.2022 | *07. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 की आबादी वाले समस्त गांवों/कस्बों को सडकों से जोड़ दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि कितनी आबादी तक के कितने गांव को अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ दिया गया है तथा कितने गांव अब तक जोड़ने शेष रह गये हैं ? क्या सरकार शेष रह गये गांवों/कस्बों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| श्री बृजभूषण गैरोला<br>11.05.2022<br>श्री प्रीतम सिंह<br>13.05.2022 | *08. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने विकास खण्डों में कितने कृषि क्षेत्रफल में जैविक खेती की जा रही है तथा जैविक खेती से जो उत्पादन हो रहा है, उन ऑर्गेनिक उत्पादकों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो यह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कृषि |
| श्री प्रीतम सिह<br>12.05.2022 | *09. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को चयनित करने की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार द्वारा चयनित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कृषि |

| | | |
|---|---|---|
| श्री प्रीतम सिंह पंवार<br>13.05.2022 | *10. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कृषि भूमि के समतलीकरण, घेरवाड़, सुरक्षादीवार, चकबन्दी आदि कार्यो को मनरेगा से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन है ? क्या यह सत्य है कि कृषि को आजीविका से जोड़ने के लिए काश्तकारों को कृषि भूमि का समतलीकरण, घेरवाड़, सुरक्षादीवार व चकबन्दी आदि कार्यों को मनरेगा से जोड़ने पर ग्रामीण काश्तकारों की आर्थिकी में सुधार आयेगा ? क्या सरकार कृषि को मनरेगा से जोड़ने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| श्री प्रीतम सिंह<br>13.05.2022 | *11. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष उत्तराखण्ड राज्य में कितना मीट्रिक टन सेब उत्पादन की सम्भावना है ? क्या समय पर बारिश न होने से सेब के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार प्रभावित सेब काश्तकारों को राजकीय सहायता देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? | उद्यान एवं फलोद्योग |
| श्री उमेश कुमार<br>13.05.2022 | *12. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उपनल कर्मचारियों का प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित है ? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि जब कोई प्रकरण यदि मा0 न्यायालय में लंबित हो तो ऐसी दशा में विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं, जबकि उपनल कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त की जा रही हैं ? क्या सरकार द्वारा इन कार्मिकों को नियमित करने की कोई योजना बनाई जा रही है तथा इनके सुरक्षित भविष्य के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | सैनिक कल्याण |
| श्री महेश जीना<br>17.05.2022 | *13. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि अधिकांशतः बंजर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अवगत करायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र की बंजर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किये जा रहे है ? क्या सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की बंजर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने हेतु कोई ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार तद्सम्बन्धित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कृषि |

श्री महेश जीना
18.05.2022

*14. क्या मत्स्य पालन मंत्री अवगत हैं कि पहाड़ों से निकलने वाली छोटी–छोटी नदियों में मत्स्य पालन की अपार सम्भावनायें व्याप्त हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि पहाडों से निकलने वाली छोटी–छोटी नदियों में मत्स्य पालन कर महिला मंगल दल व युवा मंगल दल को रोजगार दिया जा सकता है तथा पलायन पर भी रोक लगायी जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पहाडों से निकलने वाली छोटी नदियों में मत्स्य पालन योजना बनाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने हेतु कोई ठोस नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य पालन

श्री प्रीतम सिह पंवार
19.05.2022

*15. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खेती में कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग की प्रवृत्ति ने कृषि भूमि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गहरे संकट में डाल दिया है ? क्या सरकार बतायेगी कि जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग को छोड़कर कृषकों को जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है ? क्या सरकार बतायेगी कि खेती में जहरीले कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए क्या–क्या कार्यवाही की जा रही है और कृषकों को जैविक कीटनाशक अनुदान पर दिए जाने का कोई प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो वह योजना अथवा प्राविधान क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि

श्री प्रीतम सिंह पंवार
19.05.2022

*16. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खेती में प्रयोग किए जाने वाले किन–किन कीटनाशकों को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि बाजारों में बिकने वाले कीटनाशकों का सरकार द्वारा परीक्षण कराया जाता है ? क्या यह सत्य है कि जैविक कीटनाशक पारिस्थितिकीय मित्र की भूमिका का निर्वहन करते है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों को जैविक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि

श्री शहजाद
23.05.2022

*17. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के किसानों से गन्ना क्रय किये जाने वाले केन्द्रों में गन्ना तौलने वाले लिपिक किस विभाग के कार्मिक होते हैं तथा इनको प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पेराई सत्र 2021–2022 में जनपद हरिद्वार में कितने गन्ना तौल केन्द्रों का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया और किन–किन तौल केन्द्रों पर घटतोली किये जाने के प्रकरण सरकार के संज्ञान में आये ? क्या सरकार द्वारा घटतोली में संलिप्त कार्मिकों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

श्री मयूख महर
24.05.2022

**द्वितीय मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–10 में स्थानान्तरित।**

*18. क्या उद्यान मंत्री अवगत करायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कराया था, वर्तमान में अब उसकी क्या स्थिति है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त गार्डन को बनाने में कुल कितना धन व्यय किया गया तथा उक्त पुष्प (ट्यूलिप) की पौध कहां से मंगाई गयी और उसमें कितना धन व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गार्डन में फूल लगने के उपरान्त पौंध के बल्बों का क्या हुआ और वर्तमान में उक्त गार्डन को लावारिस क्यों छोड़ दिया गया है ? क्या सरकार उक्त गार्डन में पुराने पौंध के बल्बों का रोपण सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान

श्री मयूख महर
24.05.2022

*19. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित ऐंचोली से कासनी चुंगी तक लिंक मोटर मार्ग जो कि बाईपास के रूप में कार्य कर रहा है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग लगभग 400 मीटर सड़क सैन्य क्षेत्र में आती है, जिसे अक्सर सेना आवाजाही हेतु बन्द कर देती है ? क्या सरकार उक्त समस्या का स्थायी समाधान निकालेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, क्यों ?

ग्राम्य विकास

## अतारांकित प्रश्न

श्री त्रिलोक सिंह चीमा
05.05.2022

01. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री अवगत हैं कि सरकार पेराई सत्र 2011–12 में जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर शुगर मिल बन्द होने से काशीपुर के गन्ना उत्पादक किसान अपने गन्ने को काशीपुर से बाहर की मिलों यथा उत्तर प्रदेश की मिलों में कम दामों में बेचने को मजबूर हैं, और जिस कारण उन्हें अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार काशीपुर के गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिकी में सुधार लाये जाने हेतु काशीपुर में को–ऑपरेटिव सैक्टर में एक 10000 मैं0 टन क्षमता की नई गन्ना मिल की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

श्री प्रीतम सिंह पंवार
05.05.2022

02. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मगरा उद्यान प्रशासनिक उपेक्षा के कारण मृतावस्था में है एवं व्यापक क्षेत्रफल में फैले इस बाग की स्थिति दयनीय बनी हुई है ? क्या यह सत्य है कि इस उद्यान के रखरखाव, सुचारु संचालन से यह उद्यान क्षेत्र के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस उपेक्षित उद्यान को विकसित करने की योजना पर कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं फलोद्योग

| | | |
|---|---|---|
| श्री भुवन चन्द्र कापड़ी 05.05.2022 | 03. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आवारा पशुओं हेतु गौशाला का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा तथा इसमें कितने पशुओं की रहने की व्यवस्था होगी ? क्या सरकार आवारा पशुओं द्वारा फसलों को किये जा रहा नुकसान एवं सड़क दुर्घटना मे मृतक पशुओं का कोई मुआवजा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | पशुपालन |
| श्री भुवन चन्द्र कापड़ी 05.05.2022 | 04. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना कब से प्रदेश में प्रारम्भ हुई तथा पूरे प्रदेश में कितने लोगों को इससे लाभान्वित किया गया? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्व इन्द्रा आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्या मानक हैं ? क्या मंत्री जी मानकों के अन्तर का विवरण उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| श्री प्रीतम सिंह 06.05.2022 | 05. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में किसी सैनिक की बैटल कैजुएल्टी और फिजिकल कैजुएल्टी होने में राज्य सरकार द्वारा उनके परिवारों को कितना आर्थिक सहयोग दिया जाता है ? क्या सरकार इस धनराशि का बढाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | सैनिक कल्याण |
| श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी 06.05.2022 | 06. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत कोरोना काल में विधायक निधि से किन–किन एजेन्सियों से सामग्रियों को खरीदा एवं वितरित किया गया है ? क्या मंत्री जी उक्त में व्यय की गयी धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| श्री खजान दास 06.05.2022 | **प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–85 में स्थानान्तरित।** 07. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, देहरादून द्वारा डालनवाला क्षेत्र देहरादून के पंजीकृत श्रमिकों की आश्रित 25 महिलाओं को 20.01.2019 से 21.03.2019 तक दो माह का कौशल विकास प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रति महिला रु0 4000/– के हिसाब से दिया जाना वाला मानदेय का भुगतान डी0बी0टी0 अथवा अन्य किसी माध्यम से आतिथि तक नही हो पाया है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त प्रशिक्षित महिलाओं के लम्बित मानदेय का भुगतान करायेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |

| | | |
|---|---|---|
| श्री खजान दास<br>06.05.2022 | **प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–86 में स्थानान्तरित।**<br>08. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अगवत हैं कि प्रदेश में कितनी महिलाओं को राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, देहरादून द्वारा प्रशिक्षित किया गया है तथा उन्हें डी0बी0टी0 के माध्यम से दिये जाने वाले रु0 4000/– का मानदेय आतिथि तक प्रदान नहीं किया गया है ? क्या सरकार प्रदेश भर में प्रशिक्षित उपरोक्त महिलाओं के लम्बित मानदेय का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |
| श्री प्रीतम सिंह<br>09.05.20222 | 09. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार की मनरेगा योजना रोजगार परक योजना है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस योजना को आगे भी जारी रखने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट<br>10.05.2022 | 10. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के लालकुआं विधानसभा के अन्तर्गत सैनिक बाहुल्य बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक के निकट सैनिक मिलन केन्द्र एवं सी0एस0डी0 कैन्टीन खोली जानी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस संबंध में कोई कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है ? यदि हा, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? | सैनिक कल्याण |
| श्री बृजभूषण गैरोला<br>10.05.2022 | 11. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने ऐसे परिवार हैं, जो आवास विहीन है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि डोईवाला विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड डोईवाला व रायपुर में अभी तक कुल कितने आवास विहीन लोगों ने आवेदन किया हैं तथा अभी तक कितने आवेदन करने वालों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं एवं उन आवासों पर अभी तक कुल कितना व्यय हो चुका है ? क्या सरकार आवास विहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शीघ्र आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट<br>11.05.2022 | 12. क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में आंचल डेयरी द्वारा उत्पादकों से लगभग 20 से 30 रूपये प्रति लीटर दूध खरीदा जाता है ? जबकि वही खुला दूध बिना किसी प्रोसेस के ग्राहक को 50 रूपये प्रति लीटर दिया जाता है एवं साथ ही आंचल डेयरी में प्रोसेस कर क्रीम आदि निकालने के बाद पैकिंग कर आंचल द्वारा उक्त दूध को 56 रूपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है जिस कारण दूध खरीद व बिक्री के मूल्य में बहुत अन्तर है ? क्या सरकार दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिये जाने हेतु दूध के मूल्य में वृद्वि करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | दुग्ध विकास |

| | | |
|---|---|---|
| श्री प्रीतम सिंह<br>11.05.2022 | 13. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012 से कुल कितने आई0टी0आई0 स्वीकृत हैं ? क्या सरकार स्वीकृत आई0टी0आई0 में सभी ट्रेड संचालित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |
| श्री प्रीतम सिंह पंवार<br>11.05.2022 | 14. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से 499 की आबादी की कुल कितनी बसावटों को संयोजित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रस्तावित कार्य योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| श्री विक्रम सिह नेगी<br>12.05.2022 | 15. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत आई0टी0आई0 लम्बगांव के भवन के निर्माण की अवशेष धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा आई0टी0आई0 लम्बगांव के भवन निर्माण की अवशेष धनराशि कब तक अवमुक्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |
| श्री भुवन चन्द्र कापड़ी<br>12.05.2022 | 16. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में गौशाला के निर्माण हेतु भूमि का चयन किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गौशाला के निर्माण हेतु चयनित भूमि नदी द्वारा भूकटाव के लिए लगी पिचिंग से बाहर चिन्हित की गयी है तथा ये भूमि गौशाला के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है ? क्या मंत्री जी इस भूमि को चयनित करने व आंगणन गठित करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | पशुपालन |
| श्री विक्रम सिंह नेगी<br>13.05.2022 | 17. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत आई0टी0आई0 लम्बगांव में पूर्व में संचालित कक्षायें लम्बे समय से संचालित नहीं की जा रही है, जबकि यह एक घनी आबादी का क्षेत्र है और यहां पर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशिक्षणार्थियों के हित में पुनः कक्षायें संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |
| श्री विक्रम सिंह नेगी<br>13.05.2022 | 18. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत आई0टी0आई0 रजाखेत में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेन्ट के ट्रेड स्वीकृत है, जबकि वर्तमान में सिर्फ फिटर ट्रेड की कक्षायें संचालित करायी जा रही है ? यदि हां, तो कब तक अन्य स्वीकृत ट्रेड की कक्षायें संचालित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |

| | | |
|---|---|---|
| श्रीमती ममता राकेश<br>13.05.2022 | 19. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भेषज विकास इकाई उद्यान विभाग उत्तराखण्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि भेषज विकास उत्तराखण्ड में नियमावली प्रख्यापित न होने कारण इकाई में विगत 30–35 वर्षों से कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि भेषज विकास इकाई में कार्यरत कार्मिकों की वेतन विसंगति का निराकरण कर लिया गया हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? | उद्यान एवं फलोद्योग |
| श्री महेश जीना<br>13.05.2022 | 20. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत है कि जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में चाय उत्पादन की अपार सम्भावनायें व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सल्ट में कितने स्थान चाय बगान के लिए चिन्हित किये गये है, तथा कुल कितने चाय बगान बनाये गये हैं ? क्या सरकार चाय उत्पादन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर पलायन रोकने हेतु सल्ट में चाय बागान खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण |
| श्री विक्रम सिंह नेगी<br>18.05.2022 | 21. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर में उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी गढ़वाल) के अन्तर्गत शोध एवं प्रसार केन्द्र (माली ट्रेनिंग सेन्टर) की स्थापना की सैद्धान्तिक स्वीकृति 2014 में प्रदान की गई और इसी वर्ष ही उपरोक्त सेन्टर हेतु कृषि शिक्षा विभाग के माध्यम से उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार (पौड़ी गढ़वाल) को 84.085 नाली भूमि हस्तान्तरित की जा चुकी है ? यदि हां तो क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त विश्व विद्यालय में शोध एवं प्रसार केन्द्र (माली ट्रेनिग सेन्टर) प्रतापनगर संचालित किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आतिथि स्थानीय/प्रदेश स्तर पर रोजगार सृजन हेतु उपरोक्त सेन्टर में कितने पद स्वीकृत किये गये है तथा वर्तमान में उक्त सेन्टर में उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्यों ? | उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण |
| श्री विक्रम सिंह नेगी<br>18.05.2022 | 22. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा प्रतापनगर के अन्तर्गत जखिण्डा में स्वीकृत वानिकी औद्यानिंकी विश्वविद्यालय का अभी तक भवन निर्माण एवं चाहरदीवारी का निर्माण नहीं हो पाया है और न ही अभी तक कक्षायें प्रारम्भ हो पायी हैं ? यदि हां, तो कब तक परिसर का भवन निर्माण एवं चाहरदीवारी का निर्माण व कक्षायें प्रारम्भ होगी ? यदि नहीं तो क्यों ? | उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण |

| | | |
|---|---|---|
| श्री विक्रम सिंह नेगी<br>18.05.2022 | 23. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत आई0टी0आई0 रजाखेत में आवासीय भवन का निर्माण धनराशि अवमुक्त न होने के कारण पूरा नही हो पाया है ? यदि हां, तो आवासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि कब तक अवमुक्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |
| श्री प्रीतम सिंह<br>18.05.2022 | 24. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में बेरोजगारों हेतु रोजगार मेलों का आयोजन करेगी ? यदि हां, तो कब तक रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |
| श्री महेश जीना<br>20.05.2022 | 25. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत जॉब कार्ड धारक परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विधानसभावार वर्ष 2017 से आतिथि तक कुल कितने जॉब कार्ड धारक परिवारों को कुल कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार मनरेगा जॉब कार्ड धारको को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| श्री मयूख महर<br>20.05.2022 | 26. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आई0टी0आई0 स्थापित किये गये है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन आई0टी0आई0 में कितने वर्षों तक पठन पाठन कार्य चला और प्रत्येक में पृथक–पृथक कितने छात्रों ने शिक्षा ग्रहण की तथा उक्त संस्थानों को किन कारणों से बन्द कर दिया गया ? क्या सरकार इन संस्थानों को पुनः संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | कौशल विकास एवं सेवायोजन |
| श्री प्रीतम सिंह पंवार<br>20.05.2022 | 27. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड मुख्यालय थत्यूड़ और कण्डीसौड़ (थौलधार) में मॉडल पशु चिकित्सालय बनाने पर विचार किया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि पशुपालकों को पशुओं के बीमार होने पर चिकित्सालयों से समुचित उपचार नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार द्वारा विकासखण्ड मुख्यालय थत्यूड़ (जौनपुर) व कण्डीसौड़ (थौलधार) जनपद टिहरी गढ़वाल में मॉडल चिकित्सालय का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | पशुपालन |

| | | |
|---|---|---|
| श्री मयूख महर<br>23.05.2022 | 28. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बिण स्थित कुकुट्ट पालन केन्द्र के भूमि स्वामी कौन है तथा पशुपालन विभाग के पास भू–स्वामी से भू–स्थानान्तरण के दस्तावेज उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार भू–स्थानान्तरण के दस्तावेज उपलब्ध करायेंगी ? यदि नहीं, तो किस नियम के आधार पर यह केन्द्र दूसरे की भूमि पर बनाया गया है ? क्या सरकार भू–स्वामित्व न होने के आधार पर भूमि खाली कराके अथवा उक्त भूमि का आज तक का किराया प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों ? | पशुपालन |
| श्री शहजाद<br>23.05.2022 | 29. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मेरे द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 04.04.2022 जो कि किसानों के गन्ना क्रय हेतु ग्राम लादपुर मुबारिकपुर में बनाये गये केन्द्र में हो रही अनियमितता विषयक है, पर अब तक विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को अद्यतन स्थिति क्या है ? | गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग |
| श्रीमती रेनू बिष्ट<br>24.05.2022 | 30. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं बनायी गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अब तक कितने परिवारों को इस योजना के माध्यम से पलायन रोका गया तथा कितने लोग लाभान्वित हुए है ? क्या इसका विवरण मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| श्री मयूख महर<br>25.05.2022 | 31. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वड्डा–हल्दू तथा सल्ला–रावतगाड़ा मोटर मार्ग का निर्माण हो चुका है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि हल्दू से रावतगाड़ा के बीच मात्र 5 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण होना शेष है, यह क्षेत्र काली नदी से किनारे का सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है ? क्या सरकार इस शेष 5 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? | ग्राम्य विकास |
| श्री संजय डोभाल<br>26.05.2022 | **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**<br>32. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कुल कितने विभागों में उपनल के माध्यम से विगत 03 वर्षो में नियोजित संविदा कार्मिकों को नियमित किया गया अथवा विभागीय संविदा पर समायोजित किया गया है ? यदि हां तो कौन–कौन से विभाग है और कुल कितने संविदा कार्मिको को नियमितीकरण /समायोजन किया गया तथा किस नियम के तहत इन्हें नियमित किया गया है ? क्या सरकार नियमितीकरण/समायोजन से वंचित रह गये कार्मिकों के नियमितीकरण/समायोजन किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि, नहीं, तो क्यों ? | सैनिक कल्याण |

## नत्थी-"ग"

### वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

**अनुदान संख्याः-13,17,24,30,31,28,16,06,10,12,14,15,19,21,22,23,25**

**प्रस्तावकों के नाम**

1. श्री यशपाल आर्य,
2. श्री प्रीतम सिंह,
3. श्री राजेन्द्र भण्डारी,
4. श्री मयूख महर,
5. श्री हरीश सिंह,
6. श्री तिलकराज बेहड़,
7. श्रीमती ममता राकेश,
8. श्री मनोज तिवारी,
9. श्री मदन बिष्ट,
10. श्री आदेश चौहान,
11. श्री गोपाल सिंह राणा,
12. श्री विक्रम सिंह नेगी,
13. श्री भुवन कापड़ी,
14. श्रीमती अनुपमा रावत,
15. श्री सुमित हृदयेश,
16. श्री खुशाल सिंह अधिकारी,
17. श्री रवि बहादुर,
18. श्री विरेन्द्र जाति।

**प्रस्ताव का प्रारूप**

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।